

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 2

प्रपत्र संख्या 43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया- शाखा औरैया।

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम

श्री जीवक कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद न्यायालय औरैया।

2. पता

जनपद न्यायालय औरैया।

3. पंजीकरण संख्या/पद का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है। तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

राजकीय वाहन बोलेरो वाहन सं०- यू०पी० 79 जी 0228 से दि० 01.04.2024 से दि० 15.04.2024 तक चली कुल 778 किमी० (200 किमी० का लाभ लेते हुए) शेष 578 किमी० का मुगतान रु 3.00 प्रति किमी० की दर से कुल धनराशि 1,734/- जमा करने हेतु

5. चालान की समस्त राशि

6. चालान की निश्चित राशि

7. लेखा शीर्षक का पूर्ण वितरण/लेखा शीर्षक की मुहर

0070-60-800-05

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

0070-60-800-05

मुख्य लेखा शीर्षक

उप मुख्य लेखा शीर्षक

लघु शीर्षक

उप शीर्षक

व्योरेवार शीर्षक

धनराशि अंको में

0 0 7 0

6 0

8 0 0

0 5

Rs. 1,734/-

-

Rs. 1,734/-

धनराशि शब्दों में-रुपये एक हजार सात सौ चौतीस मात्र योग-

Rs. 1,734/-

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या

अंको में


दिनांक

शब्दों में रु०

Mianoo
Jany

E 304812

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर



प्राप्त किया

उपकोषागार/बैंक की मुहर